ईमेल—cfoalm.ukfs@gmail.com

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा।

पत्रांकः—सीएफओ/एन /पीटीएच/2026(A-16) दिनांकः मई 18 ,2026

सेवा में,

प्रधानचार्य
न्यू वियरशिवा पब्लिक स्कूल,
जनपद—पिथौरागढ़

विषयः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance (नवीनीकरण) के सम्बन्ध में।

आवदेन यूनिक सख्याः—47624349, दिनांकः 05.05.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन पिथौरागढ से कराया गया, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.05.2026 के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा हेतु (एबीसी क्षमता 04 कि0ग्रा0 के 28 अदद्, सीओटू 4.5 किग्रा0 के 08 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर, इलैक्ट्रिक फायर अलार्म 01 अदद्, होजरील 09 अदद्, चालीस हजार लीटर क्षमता का भूमिगत व दस हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक स्थापित है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्नि जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार टेस्टिंग शुल्क जमा कराया जायेगा इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ की संस्तुति के आधार पर संस्थान का (ब्लॉक 01 में भूतल प्रथम तल, द्वितीय तल में 27 कमरे ब्लॉक 02 में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल में 04 कमरे, व ब्लॉक 03 में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल में 18 कमरे हेतु) दिनांक 18 मई 2026 से 17 मई 2029 तक प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अनापत्ति प्रमाण पत्र पर प्रदान किया जाता है व निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगा :—

01 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सेटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।

02 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।

03 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।

04 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।

05 संस्थान के अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

06 इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

07 संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

08 संस्थान की समस्त विद्युत वायरिंग व विद्युत उपकरणो को समय—समय पर चैक कराया जाना नितांत आवश्यक है।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अल्मोड़ा/पिथौरागढ।